# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

**प्रा0पत्र/6ए/06/2020**

राज.सरकार जरिये रेखा खींची प्रवर्तन निरीक्षक, नगर जिला रसद अधिकारी कार्यालय भरतपुर।

.....प्रार्थी

**बनाम**

श्री लूलाराम उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रसिया तहसील नगर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बाबत।**

**निर्णय**

**दिनांक 30.11.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17 व 18.09.2020 तथा 23.09.2020 को उचित मूल्य दुकानदार लूलाराम ग्राम पंचायत रसिया तहसील नगर की दुकान पर मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया कि पोस मशीन की रिपोर्ट अनुसार 50.09 क्विंटल गेहूं तथा दिनांक 12.09.2020 को सांय 5.31 बजे अक्टूबर अतिरिक्त श्रेणी का कुल 108.88 क्विंटल गेहूं का चालान ऑनलाइन रिकार्ड अनुसार पाया गया इस प्रकार गेहूं का कुल ऑनलाइन स्टाक 158.97 क्विंटल का होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 283.97 क्विंटल गेहूं पाया गया जो कि वास्तविक स्टांक से 125 क्विंटल अधिक था जिसे मौके पर जब्त करके नजदीकी ग्राम पंचायत गंगावक के भाग 1/2 उचित मूल्य दुकानदार धौरीदेवी को सुपुर्द किया गया। अतः जब्तशुदा 125 क्विंटल गेहूं को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि डीलर द्वारा गेहूं सबंधित उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण न कर उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से मिलने वाली राशन सामग्री से वंचित किया गया है व डीलर द्वारा 125 किग्रा गेहूं को कालाबाजारी करने की नियत से उपभोक्ताओं को राशन वितरण नही किया गया है और जो बिल अपने जबाब में संलग्न किये गये है वह फर्जी प्रतीत होते है। अन्त में पैरोकार सरकार ने 125 क्विंटल गेहूं को राजसात करने का निवेदन किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि डीलर की दुकान पर मिले अतिरिक्त 125 क्विंटल गेहूं का है, जो कि वास्तविक स्टॉक से अधिक नही होकर राशनडीलर के वास्तविक स्टॉक का ही भाग है। दिनांक 17.9.2020 को 116.36 क्विंटल गेहूं क्रय विक्रय नगर द्वारा भरतपुर से प्राप्त रिलीज आर्डर न0 68 के द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान में आया था जिसके साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा चालान की फोटोप्रति संलग्न की है। जांच अधिकारी द्वारा इस 116.36 क्विंटल गेहूं को जानबूझकर अपनी रिपोर्ट में शामिल नही किया। जबकि इस बाबत प्रार्थी लूलाराम ने जांच अधिकारी को मौके पर ही अवगत करा दिया गया था। 125 क्विंटल में से बकाया 8.64 क्विंटल गेहूं आंगनवाडी केन्द्रों का था जो ठेकेदार द्वारा डीलर की दुकान में रखा गया था। जिसकी प्राप्ति रसीद भी अपने जबाब में संलग्न की है। अप्रार्थी की राशन वितरण में कोई अनियगितता की शिकायत नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। वक्त जॉच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 125 क्विंटल गेहूं अधिक पाया जाना मुख्य आरोप है। डीलर द्वारा अपने जबाब में कथन किया है कि उक्त 125 क्विंटल गेहूं में से 116.36 क्विंटल गेहूं क्रय विक्रय नगर द्वारा प्राप्त होना व 8.64 क्विंटल आंगनवाडी केन्द्रो का ठेकेदार द्वारा राशन दुकान में रखा जाना अवगत कराया गया है। डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाब रिलीज ऑर्डर 68 का उल्लेख किया गया है जबकि संलग्न बिल रिलीज ऑर्डर नम्बर 67 दिनांक 12.09.2020 को जारी होना दर्शाया गया तथा राशन डीलर द्वारा प्रस्तुत नगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड कमांक 2084 दिनांक 09.09.20 द्वारा 9.5 क्विंटल का बिल पेश किया गया है जिसमें डीलर का ही नाम है किसी आंगनवाडी केन्द्र का कोई उल्लेख नही है जिससे उक्त बिलो में विरोधाभास प्रतीत होता है। क्योंकि डीलर द्वारा 8.64 क्विंटल गेहूं आगंनवाडी केन्द्रो का बताया है किन्तु क्रय विक्रय नगर द्वारा 9.5 क्विंटल गेहूं का बिल दिया गया है जो कि फर्जी प्रतीत होते है। जांच अधिकारी द्वारा भी अपनी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उपभोक्ताओं को लॉकडाउन से अब तक एक अथवा दो बार ही डबल राशन दिया गया है जबकि प्रत्येक राशनकार्ड पर राशन सामग्री डीलर द्वारा निकाली जा रही रही है। बीपीएल तथा अन्तोदय के चयनित राशनकार्डो पर भी



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

डीलर द्वारा राशन सामग्री नही देने का उल्लेख किया है। डीलर द्वारा उक्त खाद्य सामग्री का राशन सामग्री प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित कर उनको राशन वितरण न कर कालाबाजारी की नियत से आवंटित खाद्यान्न को वितरण नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अधिक पाये गये खाद्यान्न से सबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही किये गये है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अतः जप्त 125 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 125 क्विंटल गेहूं को राजसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निणर्य आज दिनांक 30.11.2021 को सुनाया गया।

**(हिमांशु गुप्ता )**
**जिला कलक्टर,**
**भरतपुर**